

2199

4



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 482041



TESTED

RI PRATAP S. HARDWA,

Advocate

MEERUT

Reg. No. 597/96


लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण
विक्रय-पत्र कृषि भूमि (नगरीय)

1. भूमि का प्रकार : कृषि।
2. वार्ड परगना : परगना दौराला
3. मौहल्ला / ग्राम : मुकर्ररबपुर पल्हैड़ा।
4. सम्पत्ति का विवरण : जोकि 1/18 भाग यानि कुल एक व हिस्सा मध्ये सम्पूर्ण खसरा नम्बर 487 क्षेत्रफल 1.4160 हैक्टैयर (एक दशमलव चार एक छः जीरो हैक्टैयर भूमि), हिस्से की भूमि का क्षेत्रफल 0.07867 हैक्टैयर भूमि (जीरो दशमलव जीरो सात आठ छः सात हैक्टैयर भूमि) खाता खतौनी संख्या 00243 स्थित ग्राम मुकर्ररबपुर पल्हैड़ा परगना दौराला व तहसील सरधना व जिला मेरठ।
5. मापन की इकाई : हैक्टैयर।
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.07867 हैक्टैयर।

प्रकाराज सिंह




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ATTESTED 333618

PRATAP BHARDWAJ
Advocate
Civil Court, MEERUT
Reg. No. 59796

:: 2 ::

- | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|
| 7. | सड़क की स्थिति | : | राष्ट्रीय राजमार्ग या |
| | जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। | | |
| 8. | अन्य विवरण | : | लागू नहीं। |
| | (9 मीटर रोड/कार्नर) | | |
| 9. | सम्पत्ति का प्रकार | : | कृषि। |
| 10. | सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल | : | 0.07867 हैक्टेयर। |
| 11. | कुल आच्छादित क्षेत्रफल | : | लागू नहीं। |
| 12. | स्थिति-फिनिशड/सेमी फिनिशड/अन्य | : | लागू नहीं। |
| 13. | पेड़ों का मूल्यांकन | : | लागू नहीं। |
| 14. | बोरिंग/कुआँ/अन्य | : | लागू नहीं। |
| 15. | निर्मित क्षेत्रफल | : | लागू नहीं। |
| 16. | निर्माण का वर्ष | : | लागू नहीं। |
| 17. | सहकारी आवास समिति के सदस्य | : | नहीं |
| | से सम्बन्धित | | |

महाराज सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

333617

:: 3 ::


18. सर्किल रेट : मूल्य सूची के क्रम संख्या 30 के कॉलम (इ) के अनुसार ग्राम मुकररबपुर पल्हैड़ा का अन्य प्रयोजन हेतु अंकन: 1,00,00,000/-रुपये प्रति हैक्टैयर निर्धारित है।
19. प्रतिफल की धनराशि : अंकन: 8,00,000/-रुपये।
20. प्रथम पक्ष की संख्या एक। द्वितीय पक्ष की संख्या एक।

विक्रय पत्र अंकन: 8,00,000/-रुपये।

स्टाम्प प्रयोजन हेतु मालियत अंकन: 8,00,000/-रुपये।

इस विक्रय विलेख पर उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756 /11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुपालन में विक्रय-विलेख निष्पादन हेतु छूट का लाभ लेते हुए अंकन: 56,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

म द्वारा जारी है







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 181332

:: 4 ::

विक्रय पत्र ओर से श्री महाराज सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हरि चन्द निवासी ग्राम मुकरबपुर पल्हैडा परगना दौराला तहसील सरधना व जिला मेरठ
: प्रथम पक्ष (विक्रेता)।।

व

मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि०, मुख्य कार्यालय रेनवो चैम्बर्स 2, पी० एल० शर्मा रोड, मेरठ (PAN. AAACI4241L) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी० आर० मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जी० पी० मिश्रा निवासी 159/10 शास्त्री नगर, मेरठ शहर जिन्हे इस हेतु कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दिनांक 23.02.2010 ई० के द्वारा अधिकृत किया हुआ है: द्वितीय पक्ष (क्रेता)।।

जोकि 1/18 भाग यानि कुल हक व हिस्सा मध्ये सम्पूर्ण खसरा नम्बर 487 क्षेत्रफल 1.4160 हैक्टैयर (एक दशमलव चार एक छः जीरो हैक्टैयर भूमि), हिस्से की भूमि का क्षेत्रफल 0.07867 हैक्टैयर भूमि (जीरो दशमलव जीरो सात आठ छः

महाराज सिंह



सात हैक्टैयर भूमि) खाता खतौनी संख्या 00243 स्थित ग्राम मुकररबपुर पल्हैडा परगना दौराला व तहसील सरधना व जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित है तथा स्थल पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। प्रथम पक्ष की ओर से उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उच्छ्रण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त एवं रहित है तथा प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को अपने हस्ताक्षरों से कहीं पर बन्धक अथवा भारग्रस्त नहीं किया हुआ है तथा ना ही उपरोक्त भूमि की जमानत पर किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक आदि से कोई ऋण अथवा कर्जा प्राप्त किया हुआ तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति से उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का सौदा तय किया हुआ है तथा ना ही उपरोक्त भूमि किसी विभाग द्वारा अधिग्रहण के अन्तर्गत विचाराधीन है अर्थात् उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक हर तरह से पाक व साफ है और प्रथम पक्ष को व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर होने के नाते उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। उपरोक्त भूमि का मूल्य द्वितीय पक्ष क्रेता से अंकन: 8,00,000/-रूपये (आठ लाख रूपये) तय है कि जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है, विक्रय करने में सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुये किसी स्वत्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्वस्थ मस्तिष्क एवं निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन: 8,00,000/-रूपये (आठ लाख रूपये) कि जिसके आधे अंकन: 4,00,000/-रूपये (चार लाख रूपये) होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि०, मुख्य कार्यालय रेनवो चैम्बर्स 2, पी० एल० शर्मा रोड, मेरठ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

महाराज 12/12/24



श्री बी० आर० मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री जी० पी० मिश्रा निवासी 159/10 शास्त्री नगर, मेरठ शहर द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अतः यह विक्रय विलेख निम्न तथ्यों का साक्षी होता है :-

(1) यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता से अपना सम्पूर्ण विक्रय धन अंकनः 8,00,000/-रूपये (आठ लाख रूपये) द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है। अब कोई बकाया धनराशि प्रथम पक्ष विक्रेता की द्वितीय पक्ष क्रेता की तरफ शेष नहीं रह गयी है।

(2) यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष क्रेता ने उपरोक्त भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। अब द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूमि को कृषि हेतु प्रयोग में लायें, उसमें फसल उगाये, उसको काटे, उसको विक्रय द्वारा हस्तान्तरित करें, अर्थात् जिस प्रकार द्वितीय पक्ष क्रेता चाहेंगे उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग में लाने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे, उनके इस अधिकार में प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उनके उत्तराधिकारी आदि को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करा लेने के अधिकारी रहेंगे, यदि इस हेतु प्रथम पक्ष की सहमति प्रस्तुत करने अथवा विलेख लिखने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण करने के पाबन्द रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं होगी।

(4) यह कि यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई लगान या ड्यूज विक्रीत भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता के जिम्मे होगा तथा आज की तिथि के बाद समस्त लगान एवं ड्यूज को स्वयं द्वितीय पक्ष क्रेता वहन करेंगे, कोई आपत्ति नहीं होगी।

महाराज मिश्रा



(5) यह कि यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रीत भूमि पर कोई ऋण अथवा भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पाया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका कोई अंश जैसी स्थिति हो मय हर्जा व खर्चा वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा, कोई आपत्ति ना होगी।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित हो और उचित समय पर काम आवे। इति।।

भूमि का फोटोग्राफ

मैं / हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि निम्न फोटोग्राफ उपरोक्त भूमि का ही है तथा हम इसे प्रमाणित करते हैं।



मह

महाराज सिंह





विवरण प्राप्त विक्रय मूल्य :-

01. अंकन: 2,00,000 / -रूपये (दो लाख रूपये) प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से द्वारा चैक संख्या 483039 दिनांक 07.11.2009 ई0 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ प्राप्त किये।
 02. अंकन: 3,00,000 / -रूपये (तीन लाख रूपये) प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से द्वारा चैक संख्या 489596 दिनांक 23.02.2010 ई0 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ प्राप्त किये।
 03. अंकन: 3,00,000 / -रूपये (तीन लाख रूपये) प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से द्वारा चैक संख्या 489597 दिनांक 23.02.2010 ई0 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, मेरठ प्राप्त किये।
- कुल मीजान अंकन: 8,00,000 / -रूपये।

अन्य विवरण :-

1. विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 0.07867 हैक्टैयर है।
2. विक्रीत भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में भी इसका रूप में अंकित है तथा कृषि हेतु विक्रय की जा रही है।
3. विक्रीत भूमि के स्थल के लिए जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित पट्टे सूची के क्रम संख्या 30 के कॉलम (इ) के अनुसार ग्राम भुकरसबनु पल्हैड़ा का अन्य प्रयोजन हेतु अंकन: 1,00,00,000 / -रूपये प्रति हैक्टैयर निर्धारित है, तदानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया।
4. विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग या जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
5. विक्रीत भूमि की किस्म जमीन सेवटा है तथा दो फसली है।
6. विक्रीत भूमि में बाग अथवा पेड़ आदि नहीं है।
7. विक्रीत भूमि की सिंचाई प्राईवेट ट्यूबवैल से की जाती है।
8. विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य नहीं हैं।
9. विक्रीत भूमि से सम्बन्धित खसरा, खतौनी, सजरा सलनन है।

महाराज सिंह



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स।
प्रथम पक्ष विक्रेता का नाम व पता :-श्री महाराज सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हरि चन्द
निवासी ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा परगना दौराला तेहसील सरधना व जिला मेरठ।

बायें हाथ की अंगुलियों के



दाहिने हाथ की अंगुलियों के



द्वितीय पक्ष क्रेता का नाम व पता :-मेसर्स इण्डिया प्रमोटर्स लि०, मुख्य
कार्यालय रेनवो चैम्बर्स 2, पी० एल० शर्मा रोड, मेरठ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
श्री बी० आर० मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री पी० पी० मिश्रा निवासी 159/10 शास्त्री
नगर, मेरठ शहर।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



महाराज सिंह

Rishi Paran
S/o - S. C. Rastogi
H.No = 66/1, Shastri
Nagar, Meerut


श्री हरि चन्द
श्री श्री हरि चन्द
ग्राम पल्हैडा (म.ठ.)

तहरीर तारीख: 23.02.2010 ई० मसविदा श्री हरि प्रताप भारद्वाज, एडवोकेट
9-ए शिवलोक काम्प्लेक्स, वैस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ।।

Hari Pratap Bhardwaj
Advocate
9-A, Shiv Lok Complex
W. K. Road, MEERUT
Reg. No. 597/96
M. 9837333675

नक्शा नजरी

बैनामा मालियत / बाजारी मालियत 8,00,000/- रुपये
विक्रेता का नाम व पता : श्री. मधु राज मिश्र
क्रेता का नाम व पता : श्री. मधु राज मिश्र लि. जय अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी. आर. मिश्रा उत्तर
सम्पत्ति स्थित मौजा : मुकईबपुर पट्टेडा
विक्रीत प्लॉट/भवन/दुकान/खसरा संख्या जो कि 1/18 भाग भाग
कुल एक व दिसा मध्ये सम्पूर्ण खत सं. 487 दिसते की भूमि का क्षेत्र 0.07867 है



विक्रीत भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण।


1. सड़क लागू नहीं
2. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन / औद्योगिक दृषि भूमि
3. शैक्षिक / धर्मार्थ / स्वास्थ्य केन्द्र X
4. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज X
5. गैस गोदाम / पेट्रोल पम्प / बस अड्डा X
6. होटल रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र X
7. सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / निगमित कार्यालय X
8. अन्य X

घोषणा :- किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

दिनांक : 23/02/2010

हस्ताक्षर विक्रेता

मधु राज मिश्र



हस्ताक्षर क्रेता


247

आज दिनांक 24/02/2010 को

बही नं. 1 जिल्ला नं. 2634

पृष्ठ नं. 207 से 226 पर क्रमांक 2199

रजिस्ट्रीकृत किया गया


रजिस्ट्रार/उप निबन्धक के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार यादव)
उप निबन्धक सरधना

24/2/10

